सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ़/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 13.02.2026

आजमगढ़

01.थाना– सरायमीर

सोने-चाँदी का लालच देकर 02 लाख की ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, ₹1,90,000/- बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 12.02.2026 को वादी श्री नन्दलाल निषाद पुत्र स्व0 जेठू निषाद निवासी ग्राम पश्चिम पट्टी थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना सरायमीर पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि लगभग एक माह पूर्व धर्मेन्द्र पुत्र लालजीत निवासी कमरावा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ ने झाड़-फूंक के बहाने उनसे संपर्क किया तथा अपने साथी रामआशीष मौर्या पुत्र लल्लन मौर्या निवासी जमुवावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ के पास 20 किलो चाँदी व 02 सोने की ईंट होने का लालच दिया।

दिनांक 10.02.2026 को छित्तेपुर पेट्रोल पम्प के पास दोनों अभियुक्तों ने वादी से ₹2,00,000/- लेकर कागज में लिपटे दो थैले थमा दिए और मौके से फरार हो गए। बाद में थैला खोलने पर उसमें पीतल के टुकड़े पाए गए।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 39/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस बनाम धर्मेन्द्र कुमार व रामआशीष मौर्या पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 12.02.2026 को उ0नि0 प्रशान्त सिंह मय हमराह टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर खण्डवारी नहर पुलिया के पास दबिश दी गई। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेराबंदी कर लगभग 20 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में उसने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र लालजीत निवासी कमरावा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। तलाशी के दौरान उसके पास से धोखाधड़ी से प्राप्त ₹1,90,000/- नगद बरामद हुए। अभियुक्त को समय 17:07 बजे विधिक कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र लालजीत निवासी कमरावा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्त

1.रामआशीष मौर्या पुत्र लल्लन मौर्या निवासी जमुवावा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी

₹1,90,000/- नगद

गिरफ्तारी स्थान

खण्डवारी नहर पुलिया के पास, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 39/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 प्रशान्त सिंह

2.उ0नि0 बासुदेव साहनी

3.उ0नि0 नीरज कुमार गौड़

4.का0 आदर्श कुमार

5.का0 अरविन्द्र कुमार गौतम

6.का0 सौरभ पाण्डेय थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस द्वारा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2. थाना– मुबारकपुर

जान से मारने की नीयत से हमला करने वाला 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण

दिनांक 11.02.2026 को वादी श्री अतुल कुमार जायसवाल पुत्र अरविन्द जायसवाल निवासी पुरा दीवान (गल्ला मण्डी) थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 10.02.2026 को रात्रि लगभग 11:00 बजे विवाह समारोह में जाते समय समौधी तिराहे रोडवेज के पास पुरानी रंजिश को लेकर आरोपीगण द्वारा उन्हें रोककर गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडा व रम्बा से सिर पर प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच-बचाव करने आए अन्य व्यक्तियों को भी मारपीट कर घायल कर जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 43/26 धारा 109(1), 3(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस बनाम नामजद/अज्ञात अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 मुरारी मिश्र द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान आशीष यादव सहित अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए।

गिरफ्तारी का विवरण

दिनांक 12.02.2026 को उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आशीष यादव पुत्र रामसूरत यादव उर्फ सूरत यादव निवासी मोहल्ला पुरा खिजिर, कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 24 वर्ष को रामलीला मैदान मुबारकपुर से समय 07:40 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी जा रही है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

आशीष यादव पुत्र रामसूरत यादव उर्फ सूरत यादव निवासी मोहल्ला पुरा खिजिर, कस्बा मुबारकपुर थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 43/26 धारा 109(1), 3(5), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 मुरारी मिश्र मय हमराह थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

जनपद -बलिया

01. थाना सुखपुरा जनपद बलिया पुलिस द्वारा धारा 64(2)(f), 74, 351(2) बीएनएस 9f/10 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम व धर पकड़/ गिरफ्तारी, तलाश वांछित अभियुक्त हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण, श्रीमान् क्षेत्राधिकारी श्री उस्मान सर्किल नगर व थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार दूबे के कुशल नेतृत्व में थाना सुखपुरा पुलिस टीम को मिली सफलता।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना सुखपुरा पर वादिनी मुकदमा द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री जो पी०एम० श्री केन्द्रीय विद्यालय जीराबस्ती में पढ़ती है। उसी विद्यालय के शिक्षक नित्यानंद उपाध्याय द्वारा उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ अश्लील बातें करना व उसके साथ गलत कृत्य करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम लगा दी गई। इसी क्रम में आज दिनांक 12.02.2026 को थाना सुखपुरा पुलिस टीम के थानाध्यक्ष श्री रत्नेश कुमार दूबे मय हमराह के मु0अ0सं0 32/2026 धारा 64(2)(f), 74, 351(2) बीएनएस 9f/10 पाक्सो एक्ट की विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त नित्यानन्द उपाध्याय पुत्र अशोक कुमार निवासी ग्राम चाँदीपुर खुर्द थाना राजे सुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर वर्तमान पता जीराबस्ती थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 33 वर्ष जो जीराबस्ती वन बिहार मोड के पास से समय करीब 7.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त माननीय न्यायालय भेजा गया।

संबंधित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 32/2026 धारा 64(2)(f),74,351(2) बीएनएस 9f/10 पाक्सो एक्ट थाना सुखपुरा जनपद बलिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. नित्यानन्द उपाध्याय पुत्र अशोक कुमार सा0 ग्राम चाँदीपुर खुर्द थाना राजे सुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर वर्तमान पता जीराबस्ती थाना सुखपुरा जनपद बलिया उम्र करीब 33 वर्ष।

02. थाना दुबहड़ जनपद बलिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री उस्मान के कुशल नेतृत्व में थाना दुबहड़ पुलिस को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि थाना दुबहड़ पर वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त प्रेमशंकर उर्फ सोनू यादव के द्वारा अपनी नाबालिक पुत्री के साथ गलत कृत्य करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुए-

आज दिनांक 12.02.2026 को थाना दुबहड़ पुलिस टीम के थानाध्यक्ष श्री अजय पाल मय हमराह हे0का0 मनोज कुमार व हे0का0 जीतेन्द्र के साथ देख भाल क्षेत्र तलाश वांछित अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 12/2026 धारा धारा 65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट में मामूर थे कि मुखविर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त प्रेमशंकर उर्फ सोनू यादव पुत्र उमाशंकर यादव निवासी घोड़हरा थाना दुबहड़ जनपद बलिया उम्र 25 वर्ष को जनाड़ी चौराहे से समय 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय बलिया भेजा गया।

सम्बन्धित अभियोग-

1.मु0अ0सं0 12/2026 धारा 65(1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना दुबहड़ जनपद बलिया

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 56/2024 धारा 363/363A भादवि थाना दुबहड़ जनपद बलिया

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अभियुक्त प्रेमशंकर उर्फ सोनू यादव पुत्र उमाशंकर यादव निवासी घोड़हरा थाना दुबहड़ जनपद बलिया उम्र 25 वर्ष।

03. श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 01 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 10000 / (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 12.02.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-33/2021 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 01 नफर अभियुक्त 01. सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ विट्टू पुत्र प्रद्युमन सिंह निवासी ग्राम सुखपुरा थाना सुखपुरा बलिया को मा0 न्यायालय ASJ-4/NDPS कोर्ट, जनपद बलिया द्वारा- धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 01 वर्ष 06 माह का सश्रम कारावास व 10,000 / (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रतिवादी के पास से 01 किलो 400 ग्राम अवैध रुप से गांजा प्राप्त होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की गयी।

04. थाना बैरिया जनपद बलिया पुलिस द्वारा गुम हुए 13 अदद मोबाइल फोन (कीमत लगभग 207692/- रूपयें) को बरामद कर सम्बन्धित मोबाइल स्वामियों को किया गया सुपुर्द।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री ओमवीर सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर CEIR पोर्टल के माध्यम से दर्ज मोबाइल गुमशुदगी की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी बलिया श्री कृपा शंकर के पर्यवेक्षण, श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री फहीम कुरैशी व प्र0नि0 बैरिया श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बैरिया पुलिस टीम को मिली सफलता।

उल्लेखनीय है कि आवेदकगणों का मोबाइल बाजार जाते समय कहीं गुम हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अपने मोबाइल की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी, जिसके उपरान्त थाना बैरिया पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल पर रजिस्टर एवं सर्विलांस सेल बलिया व थाना साइबर हेल्प डेस्क की सहायता से खोज किया जा रहा था। जिसके क्रम में दिनांक 12.02.2026 को थाना बैरिया पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर रन कराये गये गुमशुदा 13 अदद मोबाइल को थाना क्षेत्र से बरामद कर मोबाइल स्वामियों को नियमानुसार पुलिस टीम द्वारा सुपुर्द किया गया।
मोबाइल स्वामियों ने बैरिया पुलिस टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए दिया धन्यवाद।

05.श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 452 भादवि0 व धारा 8 पाक्सो एक्ट के मामले में 01 नफर अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/(दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 12.02.2026 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना मनियर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 117/2018 की धारा 452 भादवि0 व धारा 8 पाक्सो एक्ट में 01 नफर अभियुक्त 1. मनोज राजभर पुत्र रामेश्वर राजभर निवासी राजा गाँव रामपुर थाना बांसडीह जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0 08 जनपद बलिया द्वारा-

धारा 8 पाक्सो एक्ट भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- (पाँच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को मुँह दबाकर बुरी नियत से खीचना व छेड़खानी किया गया था। जिस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनियर द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय किया गया था।